भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3947
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2015/29 फाल्गुन, 1936 (शक) को दिया गया)

निदेशक पहचान संख्या

3947. श्री रमेश चन्द्र कौशिक :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में कथित रूप से ऐसे मामले आए हैं जहां लोगों ने एक से अधिक निदेशक पहचान संख्या ले रखी है;
(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान चूककर्ताओं के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ग) : जी, हां। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमश: 333, 48, 53 और 35 व्यक्तियों को एक से अधिक निदेशक पहचान संख्याएं (डीआईएन) आवंटित की गई हैं। इन 469 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 456 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जबकि न्यायालय में 13 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

एक से अधिक निदेशक पहचान संख्याओं के मामले कम करने के लिए मंत्रालय ने डीआईएन आवेदन में स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य कर दिया है। नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि से संबंधित सूचना आयकर विभाग द्वारा रखे गए पैन आंकड़ों से सत्यापित करने के पश्चात् ही

आवेदन स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एमसीए21 डाटाबेस में भी दोहराव भी समाप्त किया जाता है। वर्ष 2013 से अब तक 1361 डीआईएन रद्द किए गए हैं।

*****